योजनाओ में आवेदन करने की प्रक्रिया, पात्रता, नियम, शर्ते एवं आवश्यक जानकारी

- **एक या अधिक योजनाओं में आवेदन करने पर रू. 200/- प्रक्रिया शुल्क ही देय होगी।**
- **एक या अधिक भूखण्डों हेतु आवेदन करने पर सभी आवेदित किए भूखण्डों की संख्या के आधार पर पंजीकरण राशि देय होगी।**
- **योजनाओं में उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी में सम्मिलित नहीं किये जावेंगे।**
- **एक या एक अधिक योजनाओं में आवेदक को सकल मासिक आय वर्ग में समान आय वर्ग के विभिन्न साईज (क्षेत्रफल) के भूखण्ड होने पर वरीयता की सूविधा उपलब्ध होगी। लॉटरी में वरीयता के आधार पर भूखण्ड आवंटित होने के उपरान्त शेष वरीयताएँ स्वतः ही समाप्त हो जावेगीं एवं शेष वरीयताओं की जमा पंजीकरण राशि आवेदक के निर्धारित बैंक खाते में लौटा दी जावेगी।**

1. योजना में ओवदन करने की प्रक्रिया :-

1.1 योजना में आवेदन ऑनलाईन या ई-मित्र कियोस्क केन्द्रो के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगें।

1.2 आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैक खाते में हो), अपने स्वंय के बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code, बैंक का नाम एवं ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, इस हेतु बैंक से बैंक खाता संख्या तथा IFSC Code की जॉच कर सुनिश्चित कर लें, अन्यथा गलत आवेदन/सूचना अंकित होने पर जविप्रा उत्तरदायी नही होगा।

1.3 आवेदन के साथ देय प्रक्रिया शुल्क + पंजीकरण राशि + अन्य चार्जेज

1.3.1 आनॅलाईन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण का भुगतान - Net Banking, Credit Card, Debit Card के माध्यम से उपलब्ध रहेगी।(Net Banking के माध्यम से आवेदन पर 10/- रूपये प्रति Transection + Service Tax तथा Credit Card, Debit Card, etc. के माध्यम से आवेदन पर कुल राशि का 1.25 प्रतिशत + Service Tax देय होगा)

1.3.2 ई-मित्र कियोस्क पर आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण का भुगतान नगद राशि के माध्यम से किया जा सकेगा। ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई-मित्र सेवादाता को प्रति आवेदन पर राशि रू. **80/-** का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

2. योजना में भूखण्ड हेतु आवेदन करने की पात्रता

2.1 राजस्थान का मूल निवासी ।

2.2 आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य हैं।

2.3 आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नि/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 50,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नही होना चाहिए।

2.4 आवेदक के स्वंय के नाम से बैंक खाता होना आवश्यक है। जो योजना अवधि में चालू रहना चाहिए।

2.5 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान/भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नही हुआ हो।

2.6 मूर्तिकारों हेतु आरक्षित भूखण्डों के आवंटन के लिये डेवलपमेण्ट कमिश्नर(हैण्डीक्राफ्ट), भारत सरकार के कार्यालय से जारी परिचय पत्र की प्रति लॉटरी में सफल आवेदकों को जमा करानी होगी।

3. आवेदक की सकल मासिक आय एवं वर्ग :–

आवेदक की मासिक सकल आय (पति,पत्नि एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2013–14 के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगीः–

निर्धारित प्रपत्र में ही आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावें, वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जावेगें।

एक योजना में एक ही वर्ग (आय वर्ग के अनुसार) के लिए आवेदन करे एक से अधिक आय वर्ग में आवेदन करने पर समस्त आवेदन निरस्त कर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।

4. योजना में कुल भूखण्डों में निम्नानुसार आरक्षण किया जावेगा। अतः आवेदक को किसी एक श्रेणी में ही आवेदन करना होगाः–

राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी	अनु. जनजाति	अनु. जाति	विकलांग	अधिस्वीकृत पत्रकार	सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)			अनारक्षित श्रेणी
					10%			
18%	6%	9%	2%	2%	शहीद सैनिक की विधवा एवं आश्रित (अ)	सैनिक विकलांग (ब)	अन्य सैनिक (स)	53%

- किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।

आवश्यक बिन्दु :

4.1 जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजस्थान स्थित विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं तथा राजस्थान के मूल निवासी है उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचरियों के लिए आरक्षित भूखण्डों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होगें।

4.2 अनु. जाति/अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

4.3 विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

4.4 अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं, जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।

4.5 सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति,पत्नि/पुत्र व उस पर आश्रितों से है।

4.5.1 आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक की आवेदन कर सकता है।

4.5.2 सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा। परिवार के किसी सदस्य द्वारा केवल उसी स्थिति में आरक्षित कोटे (सैनिक) से आवेदन किया जा सकता है, जब स्वयं सैनिक द्वारा आवेदन नही किया गया हो।

4.5.3 सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

4.5.4 मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगें।

4.5.5 सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ठ प्रारूप अनुसार 10/—रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

4.5.6 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

(अ) उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (एवं बी. एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ के उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।)

(ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ के कार्मिकों सहित)

(स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ के कार्मिकों सहित)

4.6 विकलांगो (निःशक्तजनों) के लिए शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के तहत 2% आरक्षण निर्धारित किया हुआ है।

5. लॉटरी में सफल होने पर निर्धारित आवंटन प्रक्रिया :

5.1 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जविप्रा वेबसाईट के माध्यम से भरा हुआ फार्म डाउनलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रार्थी द्वारा डानलोड किए गये फार्म पर निर्धारित स्थान पर हाल ही खींची हुई फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ निम्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज सहित लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर अन्दर सम्बन्धित जोन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा लॉटरी में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
- सकल मासिक आय प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयं,पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
- आरक्षित भूखण्डों के संबंधं में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
- सफल आवेदकों को लॉटरी की तिथि से 21 दिवस में आवश्यक दस्तावेज सम्बन्धित जोन कार्यालय में जमा कराने होंगे तथा जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जॉच करने के उपरान्त सही पाये जाने पर मांग पत्र जविप्रा की वेबसाईट पर लॉटरी निकाले जानी की तिथि से 60 दिन बाद डाउनलोड किया जा सकेगा, लॉटरी निकाले जाने की तिथि से 90 दिवस की अवधि में आवंटन पत्र अनुसार समस्त राशि जविप्रा परिसर स्थित ICICI बैंक में जमा करानी होगी। लॉटरी निकाले जाने के 90 दिवस पश्चात् राशि जमा कराने पर नियमानुसार ब्याज राशि लेय होगी।

5.2 लॉटरी में सफल आवेदक की जमा पंजीयन राशि को समायोजित पश्चात् बकाया राशि आवंटन–मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एक मुश्त राशि जमा करानी होगी।

5.2.1 निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा कराई जा सकती है, किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।

5.2.2 आवंटन–मांग पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

5.3 आवंटी को निर्धारित दर से वार्षिक शहरी जमाबन्दी (अरबन असेस्मेंट) अगले वित्तीय वर्ष के लिए, अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष 31 मार्च तक जमा करानी होगी। शहरी जमाबन्दी वर्तमान आरक्षित दर की सवा प्रतिशत प्रथम पाँच वर्ष के लिए एवं इसके बाद ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष देय है। यह राशि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रेल से पूर्व जमा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार ब्याज/शस्ति देय होगी। प्रथम वर्ष की शहरी

जमाबन्दी की राशि अग्रिम जमा करानी होगी। इस राशि के प्रतिवर्ष भुगतान से मुक्त होने के लिये ढाई प्रतिशत की दर से 8 वर्ष की एक मुश्त रकम अग्रिम जमा करानी होगी।

5.4 राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय–समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती हैं वह आवंटी पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।

6. आवेदन फार्म वापस लेने की विधि :

प्राधिकरण में जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड लॉटरी तिथि से पूर्व, लॉटरी निकलने के बाद तथा मांग पत्र जारी होने से पूर्व तक रिफण्ड चाहने पर पंजीकरण राशि की 5 प्रतिशत राशि काटी जाकर रिफण्ड की जावेगी। मांग पत्र जारी होने के बाद रिफण्ड चाहने पर जमा पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए रिफण्ड की जावेगी।

7. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी :

7.1 असफल होने पर पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन के माध्यम से सम्बन्धित आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जावेगी। योजना की लाटरी के एक वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद राशि वापसी सम्बन्धित आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगें।

7. 2 असफल आवेदकों को लाटरी दिनांक से 6 माह तक कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8. निम्नलिखित कारणों से भरे हुए आवेदन निरस्त/अस्वीकार कर दिए जावेगें।

8.1 आवेदनकर्ता मासिक आय के अनुसार निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ निर्धारित आय वर्ग में ही आवेदन करें। आरक्षित श्रेणी के आवेदक अपनी सही श्रेणी में आवेदन करें अन्यथा **गलत आय वर्ग/आरक्षित श्रेणी चिन्हित करने पर आवेदक को लॉटरी में भूखण्ड निकलने के बावजूद आवंटन निरस्त किया जा कर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।**

8.2 नियम विरूद्व एवं गलत तथ्य देने पर आवेदन फार्म/आवंटन निरस्त किया जाकर भूखण्ड की जमा करायी गई पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी तथा उन्हें भविष्य में आवासीय भूखण्ड के लिए आवेदन करने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा, इसके साथ ही ऐसे आवेदनकर्ताओं के विरूद्व विधिक कार्यवाही की जायेगी।

8.3 आवेदक द्वारा गलत तथ्य (आय वर्ग, आरक्षित वर्ग, कम पंजीकरण राशि, अन्य सूचना आदि) भरने पर लॉटरी में भूखण्ड निकलने के बावजूद भी आवंटित भूखण्ड निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदनकर्ता की मासिक आय आवेदित वर्ग से अधिक अथवा कम होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

8.4 आवेदनकर्ता का स्वयं का बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम, शाखा एवं शहर अंकित नहीं होने की दशा में।

8.5 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर ।

8.6 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।

9. अन्य महत्वूपर्ण शर्ते :

9.1 भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेगें।

9.2 आवंटी को लीज डीड पंजीयन का खर्च स्वयं को वहन करना होगा तथा उसके पश्चात ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।

9.3 सामान्यतः आवंटी, आंवटित भूखण्ड का 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तातंरण नहीं कर सकता है किन्तु यदि कोई व्यक्ति भूखण्ड को 10 वर्ष से पूर्व विक्रय करना चाहता है तो ऐसे विक्रय के लिए उससे योजना की प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत की दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार किए गए पंजीकृत विक्रय पत्र अथवा हस्तांतरण दस्तावेज के आधार पर हस्तान्तरण की अनुमति दे दी जायेगी।

9.4 भूखण्ड आवंटी को, भूखण्ड आवंटन के पांच साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जावेगा तथा आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा। इसके साथ ही उसके द्वारा जमा कराई गई राशि भी जब्त समझी जावेगी।

9.5 आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। आवंटन किए गए भूखण्ड को पुनः विभाजित अथवा एकाधिक भूखण्ड को मिलाकर एक बडा भूखण्ड नहीं बनाया जा सकेगा।

9.6 सफल आवेदकों की जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा किन्तु किसी कारण भूखण्ड उपलब्ध न कराने पर लॉटरी दिनांक से 6 माह पश्चात राशि वापसी की दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

9.7 प्राधिकरण बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है।

9.8 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।

9.9 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।

9.10 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जॉच संबंधित जोन स्तर पर की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखण्ड लॉटरी समिति द्वारा निरस्त कर दिये जायेंगे।

9.11 आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में किसी से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

शपथ पत्र
(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....

आयु.......................... निवासी ....

.... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 50,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।

(2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूँगा/कर दूँगी।

(3) यह कि मैंने **सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु0जाति/ अनु0जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार)** में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे, मैं प्रस्तुत कर दूँगा/कर दूँगी।

(4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

(5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षो में कोई भूखण्ड/प्लॉट मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पत्नि/पुत्री .... ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक .... को ली है।

हस्ताक्षर मय सील
प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक
मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक

(शपथ पत्र 10/– रू. के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए एवं नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

(आय प्रमाण –पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जावें। वेतन प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे एवं आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।)

आय प्रमाण–पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... जाति .... निवासी.............................. .... तहसील.....................................जिला .... राज्य .... की स्वंय पत्नि/पति एवं आश्रित की सकल मासिक आय रू0............................... .... प्रतिमाह हैं।

प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक
मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी/नोटरी
पब्लिक के हस्ताक्षर मय मोहर

दिनांक :
स्थान :

(इस प्रमाण–पत्र पर केवल राजस्थान सरकार/भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक से हस्ताक्षर कराये जाने हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।)

आय प्रमाण–पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... इस विभाग में .... पद पर कार्यरत हैं एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रू0 .... प्रति माह है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम का नाम

दिनांक :
स्थान :

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी.. ....जिला .... सम्भाग................................राज्य .... जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर

तहसीलदार

(कार्यालय की मोहर सहित)

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु
(आय प्रमाण–पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि ....

(रैंक) .... (नाम) ....

(नम्बर) ....

(अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रूपयें .... प्रतिमाह हैं।

(ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत हुए हैं तथा सेवानिवृति के समय इनकी मासिक आय रूपयें .... प्रतिमाह थी।

(स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री .... है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रू0 .... प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नही किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/

सक्षम अधिकारी/सचिव,

सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :

दिनांक :

(जो लागू न हों उसे काट दें।)

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....

आयु............................ निवासी ....

.... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।

(2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व0 पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/.. ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक .... को ली है।

हस्ताक्षर मय सील
प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक
मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक

(शपथ पत्र 10/– रू. के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए एवं नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

(नोट :– जो लागू न हो उसे काट दें।)

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर,
सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....

आयु............................ निवासी ....

.... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।

(2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नी/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/कुमारी .... द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत /प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।

(4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक .... को ली है।

हस्ताक्षर मय सील
प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक
मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक

(शपथ पत्र 10/– रू. के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए एवं नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

(नोट :– जो लागू न हो उसे काट दें।)

<u>विकलांग प्रमाण–पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी.. की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग हैं।

स्थान :   प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

दिनांक :   के हस्ताक्षर मय मोहर

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी..तहसील .... जिला .... अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान :   निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत

दिनांक :   अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर